फैक्स/ महात्वपूर्ण

संख्या- 995 /6-पु0-15/2018

प्रेषक

श्याम लाल यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-15

लखनऊ दिनांक 04 सितम्बर 2018

विषय- रिट याचिका(सिविल) संख्या 754/2017 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित निर्णय में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के क्रम में भीड़ द्वारा कारित हिन्सा एवं हत्या की घटना में पीड़ित को क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 1946पी/छः-पु-3-2018-2(114)पी/2016टीसी दिनांक 28-8-2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा रिट याचिका(सिविल) संख्या 754/2017 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन आफ़ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित निर्णय में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के क्रम में भीड़ द्वारा कारित हिन्सा एवं हत्या की घटना की रोक थाम के संबंध में किये जाने वाली कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये गये।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-7-2018 के पृष्ठ 40/41 पर भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या की घटनाओं में पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित दिशा दिये गये है:-

"The State Governments shall prepare a lynching/mob violence victim compensation scheme in the light of the provisions of Section 357A of CrPC within one month from the date of this judgment. In the said scheme for computation of compensation, the State Governments shall give due regard to the nature of bodily injury, psychological injury and loss of earnings including loss of opportunities of employment and education and expenses incurred on account of legal and medical expenses. The said compensation scheme must also have a provision for interim relief to be paid to the victim(s) or to the next of kin of the deceased within a period of thirty days of the incident of mob violence/lynching."

4- उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357-ए के प्राविधानों के अन्तर्गत गृह (पुलिस) अनुभाग-9 की अधिसूचना दिनांक 9-4-2014 द्वारा उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अधिसूचित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिये जाने के लिए पात्रता, पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया व पीड़ित व्यक्ति को सहायता के

लिए दिशा निर्देशक सिद्धान्तों को अधिसूचित किया गया है। पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि का संचालन सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जाने का प्राविधान है उक्त अधिसूचना के अनुसूची -1 में विभिन्न प्रकार की हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी है।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-7-2018 के क्रम भीड़ कारित हिंसा/हत्या में मृतक / पीड़ित व्यक्ति/व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की धनराशि दिये जाने संबंध में औचित्यपूर्ण आख्या तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्क-यथोक्त

भवदीय

(श्याम लाल यादव)
विशेष सचिव।